



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032020-216517
CG-DL-E-03032020-216517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]
No. 128]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2020/फाल्गुन 14, 1941
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2020/PHALGUNA 14, 1941

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

सा.का.नि.148(अ).—केंद्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोकपाल (परिवाद) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(क) “अधिनियम” से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) “अपराध” से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. परिवाद का प्ररूप और रीति :- (1) अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के प्रयोजन के लिए परिवाद इन नियमों में उपाबंध के रूप में संलग्न प्ररूप में दाखिल किया जाएगा।

(2) परिवाद निम्नलिखित में से किसी रीति में दाखिल किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(i) इलैक्ट्रानिक रूप से, लोकपाल द्वारा यथा अधिकथित ; या

(ii) डाक द्वारा ; या

(iii) व्यक्तिगत रूप से :

परंतु जहां परिवाद इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिल किया जाता है वहां ऐसे दाखिल किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिवस की अवधि के भीतर ऐसे परिवाद की हार्ड कापी लोकपाल को प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह और कि लोकपाल इलैक्ट्रानिक रूप से प्राप्त उक्त परिवाद को लंबित नहीं रखेगा, यदि वह सभी पहलुओं में पूर्ण हो।

(3) परिवाद में लोकसेवक द्वारा कारित किए गए अपराध के कारित किए जाने के अभिकथन के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :

परंतु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) अथवा तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) यथास्थिति, के अधीन लोकसेवक के विरुद्ध परिवाद दाखिल नहीं किया जाएगा।

(4) परिवाद साधारणतः अंग्रेजी में किया जाएगा :

परंतु लोकपाल संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भाषा में परिवाद को स्वीकार कर सकेगा।

(5) परिवाद के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे, अर्थात् :-

(क) परिवाद के प्ररूप में यथाविनिर्दिष्ट पहचान के सबूत की प्रति ;

(ख) संगठन, यदि वह एक बोर्ड, निकाय, निगम, कंपनी, सीमित देयता भागीदारी, प्राधिकरण, सोसाइटी, व्यक्तियों का संगम या न्यास है, का रजिस्ट्रीकरण या निगमन प्रमाण पत्र जिसके आधार पर परिवाद किया जा रहा है ;

(ग) हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकार प्रमाणपत्र की प्रति यदि परिवाद बोर्ड, निकाय, निगम, कंपनी, सीमित देयता भागीदारी, प्राधिकरण, सोसाइटी, व्यक्तियों का संगम या न्यास की ओर से किया जा रहा है ;

(घ) उपाबंध के भाग घ में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में एक शपथ पत्र ; और

(ड.) विधिवत रूप से हस्ताक्षरित आरोपित करने वाला विस्तृत कथन

(6) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट लोकसेवक के विरुद्ध दाखिल परिवाद, प्रवेश स्तर पर प्रथम अवसर पर उक्त धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट पूर्ण पीठ द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(7) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट लोकसेवक के विरुद्ध दाखिल परिवाद, प्रवेश स्तर स्तर पर प्रथम अवसर पर उक्त धारा 20 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट पूर्ण पीठ द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(8) लोकपाल परिवाद के संबंध में ऐसी अन्य सूचना या शपथ पत्र, जो वह उचित समझे, मांग सकेगा।

4. परिवाद पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया – लोकपाल परिवाद पर निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई करेगा, अर्थात् :-

(क) जांच या अन्वेषण का निष्कर्ष निकलने तक परिवादी या लोकसेवक जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है की पहचान सुरक्षित रखेगा:

परंतु यह कि सुरक्षा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां परिवादी ने लोकपाल को परिवाद करते समय स्वयं ही किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकारी को अपनी पहचान प्रकट कर दी है ;

(ख) जांच या अन्वेषण की प्रक्रिया की सत्यनिष्ठता की सुरक्षा करेगा;

(ग) निम्नलिखित शर्तों के अधीन आरंभ से ही परिवाद का निपटान करेगा, अर्थात्:-

(i) जहां परिवाद की विषय-वस्तु अपठनीय है;

(ii) जहां परिवाद की विषय-वस्तु अस्पष्ट या संदिग्धार्थ है;

(iii) जहां परिवाद की विषय-वस्तु तुच्छ या असार है;

(iv) जहां परिवाद लोकसेवक के विरुद्ध अभिकथन अंतर्विष्ट नहीं करती;

(v) जहां परिवाद अधिनियम की धारा 53 के अधीन परिसीमा के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है ; और

(vi) जहां परिवाद का हेतुक किसी अन्य न्यायालय या अभिकरण अथवा प्राधिकरण के समक्ष लंबित है।

(घ) लोकपाल खंड (ग) में निहित शर्तों को पूरा करने वाली परिवाद का निपटान तीस दिवस की अवधि के भीतर करेगा।

उपाबंध

परिवाद का प्ररूप

(नियम 3 देखें)

भाग क

परिवाद के परिवादी/हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे

1. यदि परिवाद निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, तो विनिर्दिष्ट करें -

- | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> व्यक्ति | <input type="checkbox"/> सोसाइटी | <input type="checkbox"/> व्यक्तियों का संगम | <input type="checkbox"/> न्यास | <input type="checkbox"/> कंपनी |
| <input type="checkbox"/> सीमित देयता भागीदारी | <input type="checkbox"/> बोर्ड | <input type="checkbox"/> निकाय | <input type="checkbox"/> निगम | |
| <input type="checkbox"/> प्राधिकरण | <input type="checkbox"/> अन्य | | | |

2. परिवादी का नाम (बड़े अक्षरों में) @

@ पहचान का सबूत संलग्न करें।

टिप्पण : निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज विधिमान्य पहचान के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा –
चालन अनुज्ञप्ति, केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को फोटो के साथ जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा फोटोग्राफ के साथ जारी की गई पासबुक, पैनकार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाव कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज, एमपी /एमएलए/एमएलसी को जारी किए शासकीय पहचान पत्र और आधार कार्ड।

	अभिनाम (श्री/श्रीमति/कु./डा. आदि)					
	उपनाम					
	मध्य नाम					
	पहला नाम					
3.	लिंग	पुरुष	महिला	उभयलिंग		
4.	आयु [वर्षों में]					
5.	राष्ट्रीयता § § यदि परिवादी भारत का नागरिक नहीं है तो पहचान के सबूत के रूप में केवल पासपोर्ट की प्रति स्वीकार्य होगी।					
6.	परिवाद के साथ संलग्न किए जाने वाले पहचान या निवास के सबूत के ब्यौरे					
	संलग्न दस्तावेज (समुचित खाने में सही का निशान लगाएं)	चालन अनुज्ञपति	बैंक या पोस्टआफिस द्वारा फोटोग्राफ के साथ जारी पास बुक	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड	मनरेगा जाव कार्ड	आधार कार्ड
		पैन कार्ड	केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को फोटो के साथ जारी किए गए सेवा पहचान पत्र	श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड	एमपी /एमएलए/ एमएलसी को जारी किए शासकीय पहचान पत्र	फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज
	(क) संख्या					
	(ख) जारी करने की तारीख					
	(ग) विधिमान्य अवधि					
	(घ) जारी करने वाला प्राधिकारी					

7.	स्थायी पता		
	मकान/संपत्ति संख्या/अवस्थिति		
	गांव/जिला/शहर		
	राज्य		
	देश		
	पिन कोड/ डाक और क्षेत्रीय कोड		
8.	पत्राचार के लिए पता		
	मकान/संपत्ति संख्या/अवस्थिति		
	गांव/जिला/शहर		
	राज्य		
	देश		
	पिन कोड/ डाक और क्षेत्रीय कोड		
9.	व्यवसाय/ पदनाम/ उप-व्यवसाय:		
10.	(क) दूरभाष संख्या (एसटीडी और आईएसडी कोड सहित)	(ख) मोबाइल संख्या (देश कोड के साथ)	
11.	ई-मेल आईडी		
12.	परिवाद को प्रस्तुत करने की रीति (समुचित स्तंभ पर चिन्ह लगाएं) [नियम 4(1) देखें]	(क) व्यक्तिगत रूप से	
(ख) डाक द्वारा			
(ग) इलैक्ट्रॉनिक रूप से			
		टिप्पण: पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर लोकपाल को भौतिक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी	
13.	क्या सम्यक रूप से नोटेरी किया गया शपथ पत्र इस प्ररूप के साथ उपाबंध के रूप में संलग्न किया गया है ?	हां	नहीं
14.	क्या परिवादी ही पीड़ित है	हां	नहीं

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और सूचना के अनुसार है :

(i) अभिकथित अपराध जिसके संबंध में सात वर्ष की अवधि के भीतर परिवाद किया जा रहा है (लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन यथा अधिकथित परिसीमा);

(ii) इस परिवाद के अधीन किया जा रहा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्रष्टाचार के अभिकथन से संबंधित कोई मामला या कार्रवाई किसी न्यायालय या संसद के किसी सदन की समिति अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं है और परिवाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 15 के अधीन लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से वर्जित नहीं है;

स्थान:
तारीख

परिवादी/प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

भाग ख

यदि शिकायतकर्ता किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकारी या कंपनी या स्वायत्त निकाय या सोसाइटी या व्यक्तियों का संगम या न्यास या सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से फाइल की जा रही है, तो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त ब्यौरे

1.	यदि किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकारी या कंपनी या स्वायत्त निकाय या सोसाइटी या व्यक्तियों का संगम या न्यास या सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा शिकायत की जाती है तो कृपया इंगित करें :		
(क)	क्या ऐसा संगठन जैसा कि ऊपर संदर्भित है, भारत में स्थित है? (सही स्तंभ में निशान लगाएं)	हां	नहीं
(ख)	यदि उपरोक्त (क) का उत्तर "हां" है तो क्या ऐसे संगठन के संबंध में [यथास्थिति, भारत में ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाहरी राज्य की विनियमनकारी विधि के अनुसार ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुसार] रजिस्ट्रीकरण/निगमन का प्रमाणपत्र संलग्न कर दिया गया है? (सही स्तंभ में निशान लगाएं)	हां	नहीं
(ग)	ऐसा सक्षम प्राधिकारी, जिसने संगठन के रजिस्ट्रीकरण/निगमन का प्रमाणपत्र जारी किया हो, को उपदर्शित कीजिए		
(घ)	संगठन के लिए पत्र-व्यवहार का पता		
	मकान/संपत्ति	संख्या/	

	अवस्थिति			
	गांव/जिला/शहर			
	राज्य			
	देश			
	पिनकोड/डाक या क्षेत्रीय कोड			
(च)	टेलीफोन नं. (आईएसडी/एसटीडी कोड सहित)	(ख) मोबाइल नं. (देश कोड सहित)		
(छ)	ई-मेल आईडी			
2.	पदाधिकारी और संगठन के प्रधान के व्यक्तिगत ब्यौरे	इस प्रारूप के भाग क में अंतर्विष्ट रूप विधान में संगठन के पदाधिकारी और प्रधान, प्रत्येक के ब्यौरे देना [अधिनियम की धारा 47 देखें]		
	प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में पृथक् शीट संलग्न करें।			
3.	ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे, जो संगठन की ओर से शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है।			
4.	<p>शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति का नाम (बड़े अक्षरों में)@ @पहचान का सबूत संलग्न करें। टिप्पण : वैध पहचान के सबूत के लिए निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज विचार में लिए जाएंगे- चालन अनुज्ञप्ति, केंद्रीय/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोग्राफ सहित सेवा पहचान कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज, एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी किया गया शासकीय पहचान कार्ड और आधार कार्ड।</p>			
	पदनाम (श्री/श्रीमती/कु./डा. आदि)			
	उपनाम			
	मध्य नाम			
	प्रथम नाम			
5.	लिंग	पुरुष	महिला	उभयलिंगी
6.	आयु			
7.	राष्ट्रीयता [§] § शिकायतकर्ता के भारत का नागरिक न होने की दशा में, पहचान के सबूत के रूप में पासपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा			

8.	शिकायतकर्ता के पहचान/निवास के ब्यौरे का सबूत जिसमें शिकायत भी परिवेष्टित होगी					
	संलग्न दस्तावेज (सही बाक्स को टिक करें)	चालन अनुज्ञप्ति	बैंक/पोस्ट आफिस द्वारा जारी किया गया फोटोचित्र युक्त पासबुक	पैन कार्ड	मनरेगा जाब कार्ड	आधार कार्ड
		राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा किया गया स्मार्ट कार्ड	केंद्रीय/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोचित्र युक्त सेवा पहचान कार्ड	श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड	एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी किया गया शासकीय पहचान कार्ड	फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज
	(क) नम्बर					
	(ख) जारी करने की तारीख					
	(ग) विधिमान्य अवधि					
	(घ) जारी करने वाला प्राधिकारी					
9.	स्थायी पता					
	मकान/संपत्ति संख्या/ अवस्थिति					
	गांव/जिला/शहर					
	राज्य					
	देश					
	पिनकोड/डाक या क्षेत्रीय कोड					
10.	पत्र-व्यवहार का पता					
	मकान/संपत्ति संख्या/ अवस्थिति					
	गांव/जिला/शहर					
	राज्य					
	देश					
	पिनकोड/डाक या क्षेत्रीय कोड					
11.	अधिभोग/पदनाम/उप व्यवसाय :					

12.	(क) टेलीफोन नं. (आईएसडी/एसटीडी कोड के साथ)		(ख) मोबाइल नं. (देश कोड के साथ)	
13.	ई-मेल आईडी			
14.	क्या प्राधिकरण दस्तावेज परिवेष्टित हैं? (कृपया समुचित बाक्स पर टिक करें)	हां	नहीं	
15.	तीसरे पक्षकार के ब्यौरे, यदि कोई हो, जिन्हें शिकायत से प्रभावित होने की संभावना हो			
(क)	नाम			
(ख)	लिंग	पुरुष	महिला	उभयलिंगी
(ग)	आयु			
(घ)	पूरा पता			
(ड.)	टेलीफोन नं. (आईएसडी/एसटीडी कोड के साथ)		(ख) मोबाइल नं. (देश कोड के साथ)	
(च)	ई-मेल आईडी			

भाग ग

लोक सेवक के विषय में ब्यौरे, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है

1.	ऐसे लोक सेवकों के नाम, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है (बड़े अक्षरों में)* *प्रत्येक लोक सेवक के विषय में पृथक् शीट संलग्न करें, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है। टिप्पण: तीसरे पक्षकार/पक्षकारों के ब्यौरे, यदि जानकारी हो, जिनका हित अधिनियम की धारा 21 के अधीन अनुध्यात उक्त शिकायत से संभावित रूप से प्रभावित होने की संभावना हो।	
2.	वर्तमान पदनाम/लोक सेवकों की स्थिति, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है।	

3.	क्या शिकायत किसी अधिकारी या कर्मचारी या अभिकरण (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन सहित) के विरुद्ध है, जो लोकपाल के अधीन या से संबद्ध है ? (समुचित बाक्स को टिक करें) [लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 38 देखें]	हां	नहीं
4.	उपरोक्त क्रम संख्या 2 के बाबत, उपदर्शित करें :	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	उक्त अधिकारी/कर्मचारी के ऊपर संगठन/अधिकरण का प्रशासनिक नियंत्रण
5(क)	ऐसे लोक सेवकों का प्रवर्ग जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है (समुचित बाक्स में टिक करें) [लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 14 देखें]	प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का सदस्य राज्य सभा का सदस्य (राज्य सभा) लोक सभा का सदस्य (लोक सभा) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में समूह 'क' या समूह 'ख' के अधिकारी केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में समूह 'ग' या समूह 'घ' के अधिकारी निकाय का अध्यक्ष या सदस्य बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य निगम का अध्यक्ष या सदस्य प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य कंपनी का अध्यक्ष या सदस्य सोसाइटी का अध्यक्ष या सदस्य स्वायत्त निकाय का अध्यक्ष या सदस्य न्यास निकाय का अध्यक्ष या सदस्य निकाय का अधिकारी या कर्मचारी बोर्ड का अधिकारी या कर्मचारी निगम का अधिकारी या कर्मचारी प्राधिकरण का अधिकारी या कर्मचारी कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी सोसाइटी का अधिकारी या कर्मचारी स्वायत्त निकाय का अधिकारी या कर्मचारी न्यास का अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तियों का संगम, सोसाइटी या न्यास के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी कोई अन्य प्रवर्ग	

5(ख)	किसी अन्य प्रवर्ग के लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत को विनिर्दिष्ट करें		
6.	यदि शिकायत किसी अध्यक्ष/न्यास के कर्मचारी या व्यक्तियों के संगम या सोसाइटी के लिए है, विनिर्दिष्ट करें :		
(क)	क्या संगठन अंशतः या पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है (समुचित बाक्स को टिक करें)	हां	नहीं
(ख)	क्या संगठन की वार्षिक आय, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचना संख्यांक 407/02/2016-एवीडी-IV (लोकपाल) (भाग 1), तारीख 20 जून, 2016 [अधिसूचना संख्यांक का.आ.2154(अ) और का.आ.2155(अ)] एक करोड़ रुपए से अधिक है (समुचित बाक्स को टिक करें) [लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (छ) देखें]	हां	नहीं
(ग)	क्या संगठन ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से कोइ दान, जिसकी राशि दस लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है, प्राप्त की है? (समुचित बाक्स को टिक करें) [लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ज) देखें]	हां	नहीं
7.	कृपया विवरण दें, यदि जानकारी हो, क्या लोक सेवक वर्तमान में राज्य के कार्यकलापों या किसी निकाय या बोर्ड या कारपोरेशन या प्राधिकारी आदि में सेवारत है जो राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या पूर्णतः या भागतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित है?	हां	नहीं

	(समुचित बाक्स को टिक करें) [लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उपधारा (3) के परंतुक और धारा 14 के उपखंड (1) के खंड (च) को देखें]		
8.	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित अपराध के कारित होने के समय लोक सेवक द्वारा पद धारित किया हुआ हो। [लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 14 के स्पष्टीकरण को देखें]		
9.	वाद हेतुक/अपराध के ब्यौरे (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन)		
	(i) अवधि, जिसके दौरान अभिकथित अवचार किया गया था। [लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 14 के स्पष्टीकरण को देखें]	से	तक
	(ii) घटना का स्थान :		
	(iii) जिला :		
	(iv) राज्य :		
10.	भ्रष्टाचार के तथ्यों/अभिकथनों का संक्षिप्त विवरण : [सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित शिकायत के ब्यौरे को परिवेष्टित करें] भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अभिकथित अपराधों के ब्यौरे (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन लोक सेवक के विरुद्ध गठित अपराधों के तथ्यों और पारिणामिक अभिकथनों को संक्षिप्ततः उपदर्शित करें)	तथ्य और परिस्थितियां :	
		अभिकथन^ :	
		^ यदि संभव हो, तो कृताकृत के एक विशेष कृत्य द्वारा कथित वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन को इंगित करें	
11.	अभिकथन के पक्ष में साक्षियों के नाम, यदि कोई हो :		

	(क) साक्षियों की संख्या :				
	(ख) नाम :	1.	2.	3.	4.
	(ग) लिंग :				
	(घ) आयु :				
	(ङ.) पूरा पता :				
	(च) मोबाइल नं० :				
	(छ) ई-मेल आईडी :				
यदि साक्षियों की संख्या बढ़ती है तो अतिरिक्त शीट जोड़ें					
12.	अभिकथन के पक्ष में शिकायतकर्ता द्वारा विश्वसनीय दस्तावेजों की विशिष्टियां/सूची :				
13.	कोई अन्य सूचना, जो शिकायतकर्ता देना/प्रकट करना चाहता है, जो कि भ्रष्टाचार के अभिकथन में जांच/अन्वेषण में सुसंगत है।				
14.	क्या शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में संदर्भित दस्तावेजों की प्रति एवं अन्य तात्विक साक्ष्य (इलेक्ट्रानिक साक्ष्य सहित, यदि कोई हो), जिन पर परिवाद आधारित है को प्रस्तुत किया गया है? (समुचित बाक्स को टिक करें)	हां		नहीं	
15.	यदि परिवाद इलेक्ट्रानिक रूप से किया गया है तो परिवाद के इलेक्ट्रानिक प्रारूप के साथ दस्तावेजों के पीडीएफ प्रारूप और अन्य सामग्री, जिन पर परिवाद आधारित है, संलग्न करें। (समुचित बाक्स को टिक करें)				

शिकायतकर्ता/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

	स्थान			
	तारीख	दिन	मास	वर्ष

भाग घ

शपथपत्र

(गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ ली जानी चाहिए)

मैं..... आयु..... वर्ष..... निवासी.....निम्न प्रकार से सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा करता हूं और शपथ पर घोषणा करता हूं कि-

1. मैं अपनी ओर से यह परिवाद दाखिल कर रहा हूं

या

मैं निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण/कंपनी/स्वायत्त निकाय/सोसाइटी/न्यास/व्यक्तियों का संगम/गैर सरकारी संगठन/सीमित दायित्व भागीदारी (उसका नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या दें, यदि कोई हो) जिनका कार्यालय (संगठन का संपर्क पता/ई-मेल/दूरभाष/फैक्स दें) पर स्थित है, की ओर से यह परिवाद कर रहा हूं और यह कि मैं, उसके तारीख.....के संकल्प द्वारा इस परिवाद को हस्ताक्षरित करने और दाखिल करने के लिए प्राधिकृत हूं।

2. मैंने वर्तमान परिवाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन दाखिल की है।

3. मैंने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के उपबंधों को पढ़ लिया है और मैं यह प्रतिज्ञान करता हूं कि वर्तमान परिवाद उसके अनुपालन में है तथा मैं पूर्णतः जागरूक हूं कि अधिनियम की धारा 46 और 47 के उपबंधों के अधीन कोई मिथ्या और तुच्छ या कष्टकर कोई परिवाद ऐसी अवधि के कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना, जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडनीय है।

4. यह कि न तो मैंने न ही किसी संगठन या संस्था या निकाय में किसी व्यक्ति ने, जिसका मैं इस परिवाद में प्रतिनिधित्व करता हूं, ने किसी न्यायालय या संसद के किसी सदन की समिति अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई परिवाद दाखिल किया है और यह परिवाद अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों को आकर्षित नहीं करता है।

5. मैं यह कथित करता हूं कि इस परिवाद में दाखिल करने से पहले मैंने अपने सर्वोत्तम ज्ञान, सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार सूचना और समर्थन साध्य, जो संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों का समर्थन करता है, एकत्रित और प्रस्तुत किया है और यह सम्पुष्ट करता हूं कि मैंने कोई आंकड़ा/सामग्री/सूचना इस परिवाद में छुपाई नहीं है।

तारीख.....20..... को सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान किया।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं.....उपरोक्त नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त वर्णित पैरा 1 से 5 के तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा उसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है।

अभिसाक्षी

[फा.सं. 407/03/2019-एवीडी-IV(लोकपाल)]

श्रीनिवास आर. कतिकिथला, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

Department of Personnel and Training

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2020

G.S.R.148(E).—In exercise of the powers conferred by section 59 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Lokpal (Complaint) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition. - In these Rules, unless the context otherwise requires—

(a) “Act” means the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014);

(b) “offence” means an offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988);

(c) words and expressions used and not defined in these rules, but defined under the Act shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Act.

3. Form and manner of complaint. - (1) For the purposes of clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Act, a complaint shall be filed in the form appended to these rules as Annexure.

(2) A complaint shall be filed in any of the following manner, namely: -

(i) electronically, in the manner, as laid down by the Lokpal; or

(ii) by post; or

(iii) in person:

Provided that where the complaint is filed electronically, the hard copy thereof shall be required to be submitted to the Lokpal within a period of **fifteen** days from the date of filing:

Provided further that the Lokpal shall not keep the said complaint, received electronically, as pending, if the same is complete in all respects.

(3) A complaint shall contain the details of allegations about commission of an offence committed by the public servant:

Provided that no complaint shall be filed against the public servant under the Army Act, 1950(45 of 1950) or the the Navy Act, 1957 (62 of 1957) or the Air Force Act, 1950 (46 of 1950) or the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978), as the case may be.

(4) A complaint may ordinarily be made in English:

Provided that the Lokpal may also entertain a complaint in any of the languages referred to in the Eighth Schedule to the Constitution.

(5) The following shall be required to be annexed with the complaint, namely: –

(a) copy of the identity proof as specified in the form of complaint;

(b) registration or incorporation certificate of the organisation, on whose behalf the complaint is being made, if it is a board, body, corporation, company, limited liability partnership, authority, society, association of persons or trust;

(c) copy of authorization certificate in favour of the signatory if the complaint is being made on behalf of the board, body, corporation, company, limited liability partnership, authority, society, association of persons or trusts;

(d) an Affidavit in the form as specified in the Part D of the Annexure; and

(e) duly signed detailed statement making out the allegation.

(6) The complaint filed against a public servant referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 14 of the Act, shall be decided by the full bench referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 14, in the first instance, at the admission stage.

(7) The complaint filed against a public servant referred to in clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 14 of the Act shall be decided by the bench as referred to in sub-section (3) of section 20 of the Act, in the first instance, at the admission stage.

(8) The Lokpal may seek such other information or affidavit relating to a complaint, as it deems fit.

4. Handling form(s) of complaint. – The Lokpal may process a complaint in the following manner, namely:-

(a) protect the identity of the complainant or the public servant complained against till the conclusion of the inquiry or investigation:

Provided that the protection, shall not be applicable, in cases where the complainant himself has revealed his identity to any other office or authority while making a complaint to the Lokpal;

(b) protect the integrity of the process of inquiry or investigation;

(c) dispose of the complaints, *in limine*, under the following conditions, namely:-

(i) where the contents of the complaint are illegible;

(ii) where the contents of the complaint are vague or ambiguous;

(iii) where the contents of the complaint are trivial or frivolous;

(iv) where the complaint does not contain allegation against a public servant;

(v) where the complaint is not filed within the period of limitation under section 53 of the Act; and

(vi) where the cause of the complaint is pending before any other Court or Tribunal or Authority.

(d) the Lokpal shall dispose of the complaints satisfying the conditions as contained in clause (c) above within a period of thirty days.

ANNEXURE

FORM OF COMPLAINT

[See rule 3]

PART A

DETAILS TO BE FURNISHED BY THE COMPLAINANT/ SIGNATORY TO THE COMPLAINT

1. Specify if the complaint is being made by

- Individual Society Association of persons Trust Company
 Limited Liability Partnership Board Body Corporation
 Authority Others

2.	<p>Name of the complainant (in block letters) [@]</p> <p>@ attach an identity proof.</p> <p>NOTE: Any of the following documents will be considered as a valid proof of identity –</p> <p>Driving License, Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Government/Public Sector Undertaking/Public Limited Company, Passbook with photograph issued by a Bank/Post Office, PAN Card, Smart Card issued by Registrar General of India under National Population Register, MNREGA Job Card, Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, Pension document with photograph, Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and Aadhaar Card.</p>
----	--

	Title (Shri/Smt./Kum./Dr. etc.)					
	Surname					
	Middle Name					
	First Name					
3.	Gender	Male	Female	Transgender		
4.	Age [in complete years]					
5.	Nationality ^s \$ in case the complainant is not a citizen of India, only a copy of the Passport will be accepted as a proof of identity					
6.	Details of identity/residence proof to be enclosed with the complaint					
	Document attached (Tick the appropriate box)	Driving Licence	Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office	Smart Card issued by Registrar General of India under National Population Register	MNREGA Job Card	Aadhaar Card
		PAN Card	Service Identity Card with photograph issued by Central/State Govt./PSUs/ Public Limited Companies to its employees	Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour	Official identity cards issued to MPs/ MLAs/ MLCs,	Pension document with photograph
	(a) Number					
	(b) Date of issue					
	(c) Validity upto					
	(d) Issuing Authority					
7.	Permanent Address					
	House/Property Number/Locality					
	Village/District/City					
	State					
	Country					
	Pin Code/Postal or Zonal Code					

8.	Address for correspondence		
	House/Property Number/Locality		
	Village/District/City		
	State		
	Country		
	Pin Code/Postal or Zonal Code		
9.	Occupation/ designation/ avocation:		
10.	(a) Telephone Number (with ISD/STD codes)	(b) Mobile Number (with country code)	
11.	e-mail id		
12.	Mode of presentation of the Complaint (Tick the appropriate column) [see rule 4(1)]	(a) In person	
		(b) By Post	
		(c) Electronically <i>Note: A physical copy is to be provided to the Lokpal within a period of fifteen days.</i>	
13.	Whether a duly notarized affidavit as annexed to this form has been enclosed?	YES	NO
14.	Whether the complainant is the victim?	YES	NO

It is certified that to the best of my knowledge, belief and information:

(iii) the alleged offence in respect of which present complaint is being made is within the period of seven years [limitation as laid down under section 53 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013];

(iv) no matter or proceeding related to allegation of corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988 being made under this complaint is pending before any court or committee of either House of Parliament or before any other authority and the complaint is not barred from being made before the Lokpal by section 15 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

Signature of the complainant/
authorised signatory

Place
Date

PART B

ADDITIONAL DETAILS TO BE FURNISHED BY THE SIGNATORY TO THE COMPLAINT IF THE COMPLAINT IS BEING FILED ON BEHALF OF A BODY OR BOARD OR CORPORATION OR AUTHORITY OR COMPANY, SOCIETY OR ASSOCIATION OF PERSONS OR TRUST OR LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

1.	In case the complaint is made by a body or board or corporation or authority or company, society or association of persons or trust or limited liability partnership, then please indicate:		
(a)	Whether such organisation as referred to above is based in India? (Tick the appropriate column)	YES	NO
(b)	If the answer to (a) above is "YES" then whether the certificate of registration/incorporation [as issued by the authority competent to issue such certificate in India or by authority competent to issue such certificate as per the regulating law of the Foreign State, as the case may be], in respect of such organisation has been enclosed? (Tick the appropriate column)	YES	NO
(c)	Indicate the name of the competent authority which has issued the certificate of registration/ incorporation of the organisation		
(d)	Address for correspondence with the Organisation		
	House/Property Number/Locality		
	Village/District/City		
	State		
	Country		
	Pin Code/Postal or Zonal Code		
(f)	Telephone Number (with ISD/STD codes)	(b) Mobile Number (with country code)	
(g)	e-mail id		
2.	Personal details of office bearers and head of the organisation	furnish details in respect of each Office Bearer and Head of Organisation in the format as contained in Part A of this form. [please see section 47 of the Act]	

Attach separate sheets in respect of each individual.

+ ADD

3.	Details of the person who has authorised the signatory to file the complaint on behalf of the organisation		
4.	Name of the person authorising the signatory to file the complaint (in block letters) @ @ attach an identity proof. NOTE: Any of the following documents will be considered as a valid proof of identity – Driving License, Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Government/Public Sector Undertaking/Public Limited Company, Passbooks with photograph issued by a Bank/Post Office, PAN Card, Smart Card issued by Registrar General of India under National Population Register, MNREGA Job Card, Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, Pension document with photograph, Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and Aadhaar Card.		
	Title (Shri/Smt./Kum./Dr. etc.)		
	Surname		
	Middle Name		
	First Name		

5.	Gender	Male	Female	Transgender		
6.	Age					
7.	Nationality ^s \$ in case the person authorising the signatory is not a citizen of India, only a copy of the Passport will be accepted as a proof of identity					
8.	Details of identity/residence proof of the person authorising the signatory enclosed with the complaint					
	Document attached (Tick the appropriate box)	Driving Licence	Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office	PAN Card	MNREGA Job Card	Aadhaar Card
		Smart Card issued by Registrar General of India under National Population Register	Service Identity Card with photograph issued by Central/State Government /Public Sector Undertaking/ Public Limited Company to its employees	Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour	Official identity cards issued to MPs/ MLAs/ML Cs,	Pension document with photograph
	(a) Number					
	(b) Date of issue					
	(c) Validity upto					
	(d) Issuing Authority					
9.	Permanent Address of person authorising the signatory					
	House/Property Number/Locality					
	Village/District/ City					
	State					
	Country					
	Pin Code/Postal or Zonal Code					
10.	Address for correspondence					
	House/Property Number/Locality					
	Village/District/ City					
	State					
	Country					
	Pin Code/Postal or Zonal Code					
11.	Occupation/ designation/ avocation:					
12.	(a) Telephone Number (with ISD/STD codes)		(b) Mobile Number (with country code)			
13.	e-mail id					
14.	Whether an authorisation document has been enclosed? (Please tick the appropriate box)	YES	NO			
15.	Details of third party, if any, likely to be affected by the complaint					
(a)	Name					

(b)	Gender	MALE	FEMALE	TRANSGENDER
(c)	Age			
(d)	Full Address			
(e)	Telephone Number (with ISD/STD codes)		(b) Mobile Number (with country code)	
(f)	e-mail Id			

PART C

DETAILS AS REGARDS THE PUBLIC SERVANT AGAINST WHOM THE COMPLAINT IS BEING MADE

1.	Name of the public servant(s) against whom complaint is being made (in block letters)* * attach a separate sheet in respect of each public servant against whom a complaint is being made. Note: Details of third party/ parties, if aware, whose interests are likely to be prejudicially affected by the said complaint as contemplated under Section 21 of the Act may also be separately furnished			
2.	Present designation/status of the public servant(s) against whom complaint is being made			
3.	Whether the complaint is against any officer or employee or agency (including the Delhi Special Police Establishment), under or associated with the Lokpal? (tick the appropriate box) [see section 38 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013]	YES	NO	
4.	With respect to serial no. 2 above, indicate:	Designation of the officer/employee	Organisation/Agency having administrative control over the said officer/employee	
5(a).	Category of the public servant against whom the complaint is being made (tick the appropriate box) [see section 14 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013]	The Prime Minister		
		A Minister of the Union		
		A Member of the Council of States (Rajya Sabha)		
		A Member of the House of the People (Lok Sabha)		
		A Group 'A' or Group 'B' officer in the Ministry or Department of the Central Government		
		A Group 'C' or Group 'D' officer in the Ministry or Department of the Central Government		

		A Chairperson or a Member of a Body	
		A Chairperson or a Member of a Board	
		A Chairperson or a Member of a Corporation	
		A Chairperson or a Member of an Authority	
		A Chairperson or a Member of a Company	
		A Chairperson or a Member of a Society	
		A Chairperson or a Member of an Autonomous body	
		A Chairperson or a Member of a Trust	
		An officer or employee of a Body	
		An officer or employee of a Board	
		An officer or employee of a Corporation	
		An officer or employee of an Authority	
		An officer or employee of a Company	
		An officer or employee of a Society	
		An officer or employee of an Autonomous body	
		An officer or employee of a Trust	
		A Director, Manager, Secretary or other officer of association of persons, society or trust	
		Any other category	
5(b).	In case the complaint is made against any other category of public servants, specify		
6.	In case the complaint is against any Chairperson/Member/ Officer/Employee of a Trust or an Association of Persons or Society, indicate:		
(a)	Whether the organisation is wholly or partly financed by the Government (tick the appropriate box)	YES	NO
(b)	Whether the annual income of the organisation exceeds one crore rupees as specified by the Central Government <i>vide</i> notification No. 407/02/2016-AVD-IV(Lokpal)(Pt.1) – [Notifications Numbers S.O.2154(E) and S.O. 2155(E)] dated 20th June, 2016 (tick the appropriate box) [see clause (g) of sub-section (1) of section 14 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013]	YES	NO

(c)	<p>Whether the Organisation is in receipt of any donation from any foreign source under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 in excess of ten lakh rupees in a year? (tick the appropriate box)</p> <p>[see clause (h) of sub-section (1) of section 14 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013]</p>	YES	NO
7.	<p>Please state, if aware, as to whether the public servant is presently serving the affairs of the State or in any body or Board or corporation or authority, etc. established by an Act of the State Legislature or wholly or partly financed by the State Government or controlled by it? (tick the appropriate box)</p> <p>[see proviso under clause (f) of sub-section (1) of section 14 and proviso to sub-section (3) of section 14 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013]</p>	YES	NO
8.	<p>Post held by the public servant at the time of commission of alleged offence under the Prevention of Corruption Act, 1988.</p> <p>[see <i>Explanation</i> to section 14 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013]</p>		
9.	<p>Details of the Cause of Action/offence (under the Prevention of Corruption Act, 1988).</p>		
	<p>(i) Period during which alleged misconduct was committed. [see <i>Explanation</i> to section 14 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013]</p>	from	to
	<p>(ii) Place of occurrence:</p>		
	<p>(iii) District:</p>		
	<p>(iv) State:</p>		
10.	<p>Summary of facts/allegations of corruption: [Detailed complaint duly signed to be enclosed]</p>	Facts and Circumstances:	

	Details of the offences alleged under the Prevention of Corruption Act (Briefly indicate the facts and consequential allegations against the public servant which constitute offence(s) under the Prevention of Corruption Act, 1988)				
		Allegations [^] : [^] if possible, indicate the statutory provision alleged to have been violated by a particular act of commission or omission			
11.	Names of Witnesses in support of the allegations, if any:				
	(a) Number of Witnesses:				
	(b) Name (s):	1.	2.	3.	4.
	(c) Gender:				
	(d) Age:				
	(e) Full Address:				
	(f) Mobile No.:				
	(g) E-mail Id:				
	<i>Add additional sheets if the number of witnesses exceeds</i>				
12.	Particulars/List of the documents relied upon by the Complainant in support of the allegation:				
13.	Any other information, the complainant desires to furnish/disclose which may be relevant to inquiry/investigation into the allegation of corruption.				
14.	Whether copies of the documents and other material evidence (including electronic evidence, if any) relied upon by the complainant and referred to in the complaint have been submitted? (tick the appropriate box)	YES		NO	
15.	If the complaint is being filed electronically whether pdf formats of the documents and other material relied upon has been attached to the	YES		NO	

	electronic format of the complaint (tick the appropriate box) <i>[please also see sub-rule (2) of rule 3 of these rules]</i>		
--	---	--	--

**Signature of the complainant/
authorised person**

	Place			
	Date	— day	— month	— year

PART D

AFFIDAVIT

(to be sworn on a non-judicial stamp paper)

I aged years, s/o
r/o do hereby solemnly affirm and declare on oath as under-

1. That I am filing this complaint on my own behalf

OR

That I am filing this complaint on behalf of body/Board/ Corporation/ Authority/ Company/ society/trust/association of persons/Non-Governmental Organisation/ Limited Liability Partnership (give its name and registration number, if any) having their office at (give contact address/email/phone/fax of the organization) and that I am authorized to sign and make this complaint *vide* its resolution dated

2. That I have filed the present complaint under the provisions of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 and the rules made thereunder.

3. That I have gone through the provisions of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 and do hereby affirm that the present complaint is in conformity therewith and I am fully aware that under the provisions of sections 46 and 47 of the Act making any false and frivolous or vexatious complaint is punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to one lakh rupees.

4. That neither I nor any other person in the organisation / institution / body that I represent in this complaint has filed any complaint in this matter before any Court or Committee of either House of Parliament or before any other Authority and this complaint does not attract the provisions of section 15 of the Act.

5. I state that before filing this complaint I have collected and presented the information and supporting evidence to the best of my knowledge, ability and capacity which are relevant in support of the allegations of corruption against the concerned public servant and I further confirm that I have not concealed any data / material / information in this complaint.

Solemnly affirmed atthis.....day of.....20.....

DEPONENT

Verification

I..... the above named deponent do hereby verify that the contents of the aforesaid paragraphs 1 to 5 are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing is concealed therefrom.

Verified at.....this.....day of20.....

DEPONENT

[F.No. 407/03/2019-AVD.IV(LP)]

SRINIVAS R. KATIKITHALA, Addl. Secy.